न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 01/2025(GCMS 2025/7)

श्री पवन कुमार निवासी अबोहर रोड़ बिजल कॉलोनी, वार्ड नं 57, हनुमानगढ़ जंक्शन (राजस्थान) 335512 मोबाईल नम्बर 81075–30283

बनाम

प्रभारी अधिकारी जिला पंजीयन अभिलेखागार, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पवन कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी, जिला पंजीयन अभिलेखागार, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री पवन कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2024 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, जिला पंजीयन अभिलेखागार, श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर से निम्न एक बिन्दु की **सूचना चाही थी :**

हरबंस सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति कुम्हार निवासी राजावली फाजिल्का पंजाब को 15 एसजीआर (सरदारपुरा बीका नया नाम) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर में जमाबंदी के पं नं. 46/238, 46/299 तथा कि नं. 1 किला नं. 14 मु.नं. 10 मु.नं. 20 नहरी जमीन राजस्थान ने कब अलॉट की तथा अलॉटमैंट के पेपर देवें क्योंकि हरबं से यह जमीन पंजीकृत लिवेख क्र.सं. लेख पत्र 115 तथा रसीदसंख्या 131 दिनांक 22.01.1975 को बेचान कर दिया तथा हमे खातेदारी अधिकार लेने के लिए अलॉटमैंट पेपर चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:01 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार, सूरतगढ़ से होने के कारण प्रभारी अधिकारी, जिला पंजीयन अभिलेखागार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1832 दिनांक 19.11.2024 से अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार,

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सूरतगढ को भिजवाया गया था इसलिए इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/379 दिनांक 05.03.2025 एवं स्मरण पत्र 978 दिनांक 30.04.2025 से लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है, उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में अपीलर्थी को कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है कि उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **तहसीलदार, सूरतगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(त्मउंदक) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति** तहसीलदार, **सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:01 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर